

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

सं० सं०-17/पेन-49/2024-

पटना, दिनांक :-

विभागीय पत्रांक-283(17) दिनांक-20.03.2025 के द्वारा डा० (प्रो०) अशोक कुमार झा, सेवानिवृत्त उपाधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को दिनांक-31.12.2024 को सेवानिवृत्ति उपरान्त कुल-300 दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त पत्र की कंडिका-04 में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना अंकित है, जिसे संशोधित रूप से अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना पढा जाय।

3. उक्त विभागीय पत्रांक-283(17) दिनांक-20.03.2025 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापक- 17/पेन-49/2024 - 336(17) पटना, दिनांक :- 01.04.25

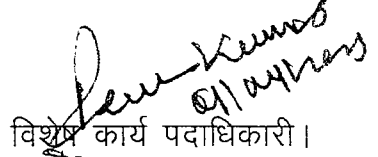
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० (प्रो०) अशोक कुमार झा, सेवानिवृत्त उपाधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना, पत्राचार का पता-फ्लैट नं०-2 B, दयाल रिजेंसी अपार्टमेन्ट, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, थाना-बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना, पिन कोड-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।